

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 पौष 1939 (श0) (सं0 पटना 12) पटना, मंगलवार, 2 जनवरी 2018

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना २ जनवरी २०१८

एस०ओ० 6, दिनांक 2 जनवरी 2018—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा:-

- (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।
 - (2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
- 2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में,-
- (i) नियम 17 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(1क) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन दिया गया विशिष्ट पहचान संख्यांक, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अधीन दिया गया समझा जायेगा।";
- (ii) नियम 19 के उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन की किसी विशिष्टि का, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से आयुक्त के आदेश के सिवाय और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो आयुक्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उस तारीख से, जो सामान्य पोर्टल पर प्ररुप जीएसटी आरईजी-14 में आवेदन प्रस्तुत करने, की तारीख से पूर्वतर हो, संशोधन नहीं किया जाएगा।"

- (iii) 23 अक्तूबर, 2017 से नियम 89 के उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातु:-
- "(4) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 16 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर का संदाय किए बगैर माल या सेवाओं या दोनों के शून्य दर प्रदाय की दशा में इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय निम्नलिखित सूत्र के अनुसार दिया जाएगा, -

प्रतिदाय की रकम = (माल के शून्य दर प्रदाय का आवर्त + सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त) X शुद्ध आई टी सी÷ समायोजित कुल आवर्त

जहां,-

- (अ) "प्रतिदाय की रकम" से ऐसा अधिकतम प्रतिदाय अभिप्रेत है जो अनुज्ञेय हो ;
- (आ) "शुद्ध आई टी सी" से ऐसे उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय से भिन्न जिसके लिए उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, ऐसी सुसंगत अविध के दौरान इनपुटों और इनपुट सेवाओं पर उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है।
- (इ) "माल के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से ऐसे प्रदायों के आवर्त से भिन्न, जिसके संबंध में उपनियम (4 क) या उपनियम (4 ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा किया गया है, बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर के संदाय के बिना सुसंगत अविध के दौरान किए गए माल के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है;
- (ई) "सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के आवर्त" से बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन कर संदाय बिना निम्नलिखित रीति में संगणित किए गए सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का मूल्य अभिप्रेत है, अर्थात्:-

सेवाओं का शून्य दर प्रदाय, सेवाओं के शून्य पर प्रदाय के लिए सुसंगत अविध के दौरान प्राप्त संदायों का योग है और संदायों का शून्य दर प्रदाय जहां प्रदाय पूर्ण हो गया है जिसके लिए सुसंगत अविध से पहले की किसी अविध में अग्रिम के तौर पर संदाय प्राप्त हुआ था जिसे सेवाओं के शून्य दर प्रदाय के लिए प्राप्त अग्रिमों द्वारा घटाया गया है जिसके लिए सुसंगत अविध के दौरान सेवाओं का प्रदाय पूर्ण नहीं हुआ है;

- (उ) "समायोजित कुल आवर्त" से सुसंगत अवधि के दौरान,-
 - (क) शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य और

- (ख) ऐसे प्रदायों का आवर्त, जिसके संबंध में उपनियम (4क) या उपनियम (4ख) या दोनों के अधीन प्रतिदाय का दावा, यदि कोई हो, किया गया है, को अपवर्जित करते हुए धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का आवर्त अभिप्रेत है;
- (ऊ) सुसंगत अवधि से ऐसी अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए दावा फाइल किया गया है।
 - (4क) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना संख्या एस. ओ. 249, दिनांक 18 अक्तूबर,2017 के फायदे का उपभोग किया है, माल या सेवाओं को शून्य दर प्रदाय बनाने में उपयोग किए गए अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुदत्त किया जाएगा।
 - (4ख) ऐसे प्राप्त प्रदायों की दशा में जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना सं. 40/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 या अधिसूचना सं. 41/2017 एकीकृत कर (दर) दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 या दोनों के फायदे का उपभोग किया है, माल के निर्यात के लिए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त इनपुटों के संबंध में उपभोग किए गए कर प्रत्यय का प्रतिदाय और माल का ऐसा निर्यात करने में प्रयोग की गई सीमा तक अन्य इनपुटों या इनपुट सेवाओं के संबंध में उपभोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अनुदत्त किया जाएगा।";
 - (IV) नियम 95 में-
 - (क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :-
 - "(1) धारा 55 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुसार उसके आंतरिक प्रदायों पर उसके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए पात्र कोई व्यक्ति, प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10 में प्रतिदाय के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार समान पोर्टल पर या अन्य अन्यथा, इलैक्ट्रानिकरुप से प्रत्यक्षतः या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से प्ररुप जीएसटीआर 11 में माल या सेवाओं या दोनों के आंतरिक प्रदायों के विवरण के साथ आवेदन करेगा":
 - (ख) उपनियम (3) के खंड (क) में "और प्रदाय का मूल्य एकल कर बीजक में पांच हजार रुपए, भुगतित कर को छोड़ कर, से अधिक है" शब्दों का लोप किया जाएगा:
 - (V) 23 अक्तूबर, 2017 से, नियम 96 में,-
 - (क) शीर्षक में "निर्यात किए गए माल" शब्दों के पश्चात् " या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) उपनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-
- (9) माल या सेवाओं के निर्यात पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा करने वाले व्यक्ति ऐसे प्रदायों को प्राप्त नहीं करेगा जिन पर प्रदायकर्ता ने अधिसूचना संख्या एस. ओ. 249, दिनांक

18 अक्तूबर,2017, अधिसूचना संख्या 40/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 या अधिसूचना संख्या 41/2017-एकीकृत कर (दर) दिनांक 23 अक्तूबर, 2017 के फायदे का उपयोग किया है।"

(Mं) प्ररूप जीएसटी आरईजी-10 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-"प्ररूप जीएसटी आरईजी-10

[नियम 14(1)देखें*]*

रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, भारत में किसी व्यक्ति को भारत से बाहर स्थान से ऑनलाइन सूचना और डाटाबेस पहुंच या पुनः प्राप्ति सेवाओं की पूर्ति करवाने वाले व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

भाग-क

(i)	व्यक्ति का विधिक नाम	
(ii)	कर पहचान संख्या या विशिष्ट संख्या जिसके आधार पर उस देश की सरकार	
	द्वारा अस्तित्व की पहचान की जाती है	
(iii)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	
(iv)	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का ई-मेल पता	
(v)	भारत में नियुक्त प्रतिनिधि का नाम, यदि कोई है	
	(क) भारत में प्रतिनिधि का स्थाई खाता संख्या	
	(ख) भारत में प्रतिनिधि का ई-मेल पता	
	(ग) भारत में प्रतिनिधि का मोबाइल नं. (+91)	
टिप्पण -	. जहां व्यवहार्य हो भाग – ख को भरने से पर्व वहां ऊपर प्रस्तत ससंगत जानकारी :	ऑनलाइन


टिप्पण - जहां व्यवहार्य हो, भाग – ख को भरने से पूर्व, वहां ऊपर प्रस्तुत सुसंगत जानकारी ऑनलाइन सत्यापन के अध्यधीन है।

भाग-ख

त हस्ताक्षरी [:]	के ब्यौरे (भार	त का निवार्स	ो होगा)			
ाम	मध्य ना	 ाम	अन्ति	ाम नाम		
			L			
			पुरूष	ग/स्त्री/अन्य		
ो तारीख			तारी	ख/मास/वर्ष		
ा नाम						
π						
यदि कोई हो	Г					
			पता	पंक्ति 1		
யடுக்க	. सम्बद्धी क	r nar	पता	पंक्ति 2		
प्राधिकृत	हस्ताक्षरी क	। पता	पता	पंक्ति 3		
गें ऑनलाइन	सेवा के प्रारम्भ	भ की तारीख	तारी	ख/मास/वर्ष		
ट, जिसके मा पक (यूआरए		धेय सेवाएं उष	ग्लब्ध करा	ई जाती हैं, के ।	एक समान स्रोत	
रेता	केन्द्र			बैंगलुरु पश्चिम कमिश्नरेट	न, सी.जी.एस.टी,	
- में प्रतिनिधि वे	के बैंक खाते के	ब्यौरे(यदि वि	नेयुक्ति हुई	है)		
τ̈.			खाता का	प्रकार		
नाम	शान	खा का पता			आइएफएससी	
किए गए द फील्ड मूल्य सूची		अपलोड किए	जाने वाले	अपेक्षित दस्ता	वेजों (अनुदेश देखे	्रें) क <u>ी</u>
। ज्ञान और वि यह घोषणा धेय राज्यक्षेत्र और संग्रहीत	वेश्वास के अनु करता हूं कि कमें अवस्थित	सार सत्य औ मैं रजिस्टरव ा गैर-निर्धारि उसे भारत सर हः प्राधि	र सही है त कर्ता की ओ रती ऑनला कार में जम् स्ताक्षर धेकृत हस्ता	था इससे कोई र से हस्ताक्षर इन प्राप्तिकर्ता ग करूंगा।	पर दी गई जान बात नहीं छिपाई करने के लिए प्रा से दायी से कर	रेगई है। धिकृत हूं।
3	ग़ैर संग्रहीत	गौर संग्रहीत करूंगा और र	ह प्राप्ति	हस्ताक्षर	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम	हस्ताक्षर प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

टिप्पणः आवेदक से पासपोर्ट और फोटो की स्कैंन की गई प्रति के साथ घोषणा (अधोलिखित रूप विधान के अनुसार) अपलोड करने की अपेक्षा की जाएगी।

साक्ष्य के रूप में अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची निम्नानुसार है:-



उन व्यक्तियों के हस्ताक्षर, जो भारसाधक हैं।

क्र. सं. पूरा नाम पदाभिधान/प्रास्थिति हस्ताक्षर

1.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में स्वीकृति

मैं <<(प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम>> ऊपर निर्दिष्ट कारबार के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में कार्य करने की अपनी स्वीकृति सत्यनिष्ठा से देता हूं और मेरे सभी कार्य कारबार पर आबद्धकर होंगे।

(नाम)प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षरस्थान

तारीख:

पदनाम /प्रास्थिति

अनुदेश -

1. यदि प्राधिकृत हस्ताक्षरी भारत में नहीं रहता है, तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र के माध्यम से प्रमाणीकरण नहीं किया

जाएगा । प्रमाणीकरण इलैक्ट्रोनिक वेरीफिकेशन कोड (ई वी सी) के माध्यम से किया जाएगा ।

- 2. भारत में नियुक्ति प्रतिनिधि से अभिप्रेत एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 14 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट है।
 - (vii) प्ररूप जी.एस.टी. आरईजी 13,
 - (क) भाग-ख के क्रम सं.-4 में "राज्य में अस्तित्व का पता" शब्दों के स्थान पर "अस्तित्व का पता जिसके संबंध में केन्द्रीयकृत यू.आई.एन. गया है" शब्दों को रखा जाएगा ;
 - (ख) अनुदेशों में, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलैक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर, "प्रत्येक व्यक्ति, जिससे विशिष्ट पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की अपेक्षा है, इलेक्ट्रानिकी रूप से आवेदन प्रस्तुत करेगा या अन्यथा।";
- (viii) प्ररूप जीएसटी आर-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप जीएसटीआर -11 [नियम 82देखें]

विशिष्टि पहचान संख्यांक (यूआईएन) वाले व्यक्तियों द्वारा आवक प्रदाय का विवरण

वर्ष		
कर		
अवधि		

1	यू एन आई								
2.	यू एन आई वाले व्यक्ति का	Auto							
	नाम	populated							

3. प्राप्त आवक प्रदाय के ब्यौरे

(सभी सारणी के लिए रकम रुपए में)

प्रदायकर्ता का	बीज	क /न	नामे 💮	दर	कराधेय		कर व	<u> ति रकम</u>	प्रदाय का	
जीएसटीआईएन			ात्र के		मूल्य				स्थान	
	,	ब्यौरे								
	संख्या	तारीख	में			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3क. प्राप्त बीजक									•	
3ख. प्राप्त नामे नोट	:/जमाप	त्र								

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और या घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भीनहीं छिपाया गया है।

	हस्ताक्षर
स्थान:	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम
तारीख:	पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश-:

- 1. प्रयुक्त शब्द :-
- (क) जीएसटीआईएन: माल और सेवा कर पहचान संख्यांक
- (ख) यूआईएन :- विशिष्ट पहचान संख्यांक
 - 2. प्रतिदाय आवेदन उसी राज्य में फाइल करना होगा, जहां विसिष्ट पहचान संख्यांक दिया गया है।
 - 3. प्रतिदाय प्रयोजन के लिए केवल वही बीजक प्रविष्ट किए जा सकेंगे जिन पर प्रतिदाय मांगा गया है।
- (ix) प्ररूप जी.एस.टी. आरएफडी-10, के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

प्ररुप जीएसटी आरएफडी-10

[नियम 95(1) देखें]

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

	\sim		•	
1	ग्रसिक	पहचान	मक्या	٠
1.	71117	70 711	राउना	•

- 2. नाम :
- 3. पता :
- 4. कर अवधि (तिमाही): दिन /मास /वर्ष से तक.....<दिन /मास /वर्ष>
- 5. एआरएन और जीएसटीआर 11 की तारीख : ए आर एन <.....><**दिन** /**मास**/ **वर्ष**>
- 6. दावा प्रतिदाय की रकम

<आई एन आर><शब्दों में>

राज्य	केन्द्रीय	राज्य कर संघ राज्य	एकीकृत कर	उपकर
	कर	क्षेत्र कर		
कुल				

- 7. बैंक खाते का ब्यौरा:
 - (क) बैंक खाता संख्या
 - (ख) बैंक खाते का प्रकार
 - (ग) बैंक का नाम
 - (घ) खाता धारक/ संचालक का नाम
 - (ङ) बैंक शाखा का पता
 - (च) आई एफ एस सी
 - (छ) एम आई सीआर

8. सत्यापन

मैं,<<दूतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम>> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यिनष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रुप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (नाम) पदनाम/ प्रास्थिति

अनुदेश -

- 1. प्रतिदाय के लिए आवेदन तिमाही आधार पर किया जाएगा।
- 2. सारणी सं. 6, जीएसटीआर-11 की सारणी 3 में दिए गए ब्यौरे से स्वतः भरा जाएगा।
- 3. प्रतिदाय रकम को पात्रता के अनुसार बदलने की सुविधा होगी।
- 4. एमईए द्वारा जारी अपेक्षित प्रमाणपत्र जिनमें प्रतिदाय की सुविधा अनुदत्त की गई है, को उपयुक्त अधिकारी के समक्ष प्रतिदाय दावा प्रसंस्करण करने हेतु उपलब्ध करवाया जाएगा।
- (x) प्ररूप जी एस टी डी आर सी -07 में, सारणी के क्रम सं. 5 का लोप किया जाएगा।

[(सं०सं०—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—16)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

2 जनवरी 2018

एस०ओ० 6, 2 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं॰सं॰—बिक्री—कर / जीएसटी / विविध—21 / 2017(खंड—I)—16)] बिहार—राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य—कर आयुक्त—सह—प्रधान सचिव।

The 2nd January 2018

- S.O. 6, dated 2nd Junary 2018— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-
 - (1) These Rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Twelfth Amendment) Rules, 2018.
 - Unless otherwise specified, they shall come into force with effect from 29th December, 2017.
 - 2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, -

- (i) in rule 17, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1A) The Unique Identity Number granted under the Central Goods and Services Act, 2017 shall be deemed to be granted under the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017.
- (ii) in rule 19, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
 - "(1A) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), any particular of the application for registration shall not stand amended with effect from a date earlier than the date of submission of the application in **FORM GST REG-14** on the common portal except with the order of the Commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such conditions as the Commissioner may, in the said order, specify.";
- (iii) with effect from 23rd October, 2017, in rule 89, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely:-
- "(4) In the case of zero-rated supply of goods or services or both without payment of tax under bond or letter of undertaking in accordance with the provisions of sub-section (3) of section 16 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), refund of input tax credit shall be granted as per the following formula Refund Amount = (Turnover of zero-rated supply of goods + Turnover

of zero-rated supply of services) x Net ITC ÷Adjusted Total Turnover Where, -

- (A) "Refund amount" means the maximum refund that is admissible;
- (B) "Net ITC" means input tax credit availed on inputs and input services during the relevant period other than the input tax credit availed for which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;
- (C) "Turnover of zero-rated supply of goods" means the value of zero-rated supply of goods made during the relevant period without payment of tax under bond or letter of undertaking, other than the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both;
- (D) "Turnover of zero-rated supply of services" means the value of zero-rated supply of services made without payment of tax under bond or letter of undertaking, calculated in the following manner, namely:
 Zero-rated supply of services is the aggregate of the payments received during the relevant period for zero-rated supply of services and zero-rated supply of services where supply has been completed for which payment had been received in advance in any period prior to the relevant period reduced by advances received for zero-rated supply of services for which the supply of services has not been completed during the relevant period;
- (E) "Adjusted Total turnover" means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2, excluding –

- (a) the value of exempt supplies other than zero-rated supplies and
- (b) the turnover of supplies in respect of which refund is claimed under sub-rules (4A) or (4B) or both, if any,

during the relevant period;

- (F) "Relevant period" means the period for which the claim has been filed.
- (4A) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. S.O. 249, dated 18th October, 2017, refund of input tax credit availed in respect of other inputs or input services used in making zero-rated supply of goods or services or both shall be granted.
- (4B) In the case of supplies received on which the supplier has availed the benefit of notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated 23rd October, 2017

or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017, or both, refund of input tax credit availed in respect of inputs received under the said notifications for export of goods and the input tax credit availed in respect of other inputs or input services to the extent used in making such export of goods shall be granted.";

- (iv) in rule 95 -
- (a) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
 - "(1) Any person eligible to claim refund of tax paid by him on his inward supplies as per notification issued under section 55 shall apply for refund in **FORM GST RFD-10** once in every quarter, electronically on the common portal or otherwise, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, along with a statement of the inward supplies of goods or services or both in **FORM GSTR-11.**";
- (b) in sub-rule (3), in clause (a), the words "and the price of the supply covered under a single tax invoice exceeds five thousand rupees, excluding tax paid, if any" shall be omitted;
- (v) with effect from 23rd October, 2017, in rule 96
 - (a) in the heading, after the words "paid on goods", the words "or services" shall be inserted;
 - (b) after sub-rule (8), the following sub-rule shall be inserted, namely:-
- "(9) The persons claiming refund of integrated tax paid on export of goods or services should not have received supplies on which the supplier has availed the benefit of notification No. S.O. 249, dated 18th October, 2017 or notification No. 40/2017-State Tax (Rate) dated 23rd October, 2017 or notification No. 41/2017-Integrated Tax (Rate) dated 23rd October, 2017.";
- (vi) for **FORM GST REG-10**, the following form shall be substituted, namely:-

"Form GST REG-10

[See rule 14(1)]

Application for registration of person supplying online information and data base access or retrieval services from a place outside India to a person in India, other than a registered person.

Part -A

(i)	Legal name of the person	
(ii)	Tax identification number or unique number on the basis of which	
	the entity is identified by the Government of that country	
(iii)	Name of the Authorised Signatory	
(iv)	Email Address of the Authorised Signatory	
(v)	Name of the representative appointed in India, if any	
	(a) Permanent Account Number of the representative in India	
	(b) Email Address of the representative in India	
	(c) Mobile Number of the representative in India (+91)	

Note- Relevant information submitted above is subject to online verification, where practicable, before proceeding to fill up Part-B.

Part -B

Details of Authorised	Signatory	
First Name	Middle Name	Last Name
Photo		
Gender	,	Male / Female / Others
Designation		
Date of Birth		DD/MM/YYYY
Father's Name		
Nationality		
Aadhaar, if any		
Address of the Author	orised Signatory	Address line 1

				Address line	2		
				Address line			
2.	Date of service in		nent of the onli	ine	DD/MM/YY	YYY	
3	Uniform are provi 1. 2. 3		ocators (URLs)	of the website the	nrough which	taxable s	services
4	Jurisdict	ion	Center		Bengaluru Commissio		CGST
		of Bank Acco		tative in India(if		1	
5	Account Number			Type of account	t		_
	Bank Name		Branch Address			IFSC	
6	A custon	nts Uploaded nized list of d values in the	documents requ	ired to be uploa	ded (refer In	struction) as per
7	above is nothing I, behalf of assesse	y solemnly s true and has been co f the Regist	correct to the concealed theresty the concealed theresty the concentration of the concealed to the concealed to concealed the concealed to concealed the conceale	y declare that harge and coll in taxable terri	knowledge I am author ect tax liabl	and beli ised to s e from the posit the	ief and ign on e non- e same
	Date:				Designation	_	•

Note: Applicant will require to upload declaration (as per under mentioned format) along with scanned copy of the passport and photograph.

List of documents to be uploaded as evidence are as follows:-

1. Proof of Place of Business of representative in India, if any:

(a) For own premises –

Any document in support of the ownership of the premises like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(b) For Rented or Leased premises –

A copy of the valid Rent / Lease Agreement with any document in support of the ownership of the premises of the Lessor like Latest Property Tax Receipt or Municipal Khata copy or copy of Electricity Bill.

(c) For premises not covered in (a) and (b) above –

A copy of the Consent Letter with any document in support of the ownership of the premises of the Consenter like Municipal Khata copy or Electricity Bill copy. For shared properties also, the same documents may be uploaded.

2. Proof of:

Scanned copy of the passport of the Non -resident tax payer with VISA details. In case of Company/Society/LLP/FCNR/ etc. person who is holding power of attorney with authorisation letter.

Scanned copy of Certificate of Incorporation if the Company is registered outside India or in India

Scanned copy of License is issued by origin country

Scanned copy of Clearance certificate issued by Government of India

3 Bank Account Related Proof:

Scanned copy of the first page of Bank passbook / one page of Bank Statement
Opening page of the Bank Passbook held in the name of the Proprietor / Business
Concern – containing the Account No., Name of the Account Holder, MICR and IFSC and Branch details.

4. Scanned copy of documents regarding appointment as representative in India, if applicable

5. Authorisation Form:-

For Authorised Signatory mentioned in the application form, Authorisation or copy of Resolution of the Managing Committee or Board of Directors to be filed in the following format:

Declaration for Authorised Signatory (Separate for each signatory)

I --- (Managing Director/Whole Time Director/CEO or Power of Attorney holder) hereby solemnly affirm and declare that << name of the authorised signatory >> to act as an authorised signatory for the business << Name of the Business>> for which application for registration is being filed/ is registered under the Central Goods and Service Tax Act, 2017.

All his actions in relation to this business will be binding on me/ us. Signatures of the persons who is in charge.

S. No.

Full Name

Designation/Status Signature

1.

Acceptance as an authorised signatory

I <<(Name of authorised signatory>> hereby solemnly accord my acceptance to act as authorised signatory for the above referred business and all my acts shall be binding on the business.

Signature of Authorised Signatory Place

(Name)

Date:

Designation/Status

Instructions –

- 1. If authorised signatory is not based in India, authentication through digital signature certificate shall not be mandatory for such persons. The authentication will be done through Electronic Verification Code (EVC).
- 2. Appointed representative in India shall have the meaning as specified under section 14 of Integrated Goods and Services Tax Act, 2017.";
- (vii) in **FORM GST REG-13**,
 - a. in **PART-B**, at serial no. 4, the words, "Address of the entity in State" shall be substituted with the words, "Address of the entity in respect of which the centralized UIN is sought";
 - b. in the Instructions, the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically" shall be substituted with the words, "Every person required to obtain a unique identity number shall submit the application electronically or otherwise.";
- (viii) for **FORM GSTR-11**, the following form shall be substituted, namely:-

Form GSTR -11

[See rule 82]

Statement of inward supplies by persons having Unique Identification Number (UIN)

Year		
Tax		
Period		

1.	UIN								
2.	Name of the person having	Auto							
	UIN	populated							

3. Details of inward supplies received

Date

(Amount in Rs. for all Tables)

of supplier	N	ote/C	Debit Credit etails	Rate	Taxable value		Place of Supply			
	No	Date	Value			Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax	CESS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3A. Inv	oice	s rec	eived							
3B. Del	oit/C	redit	Note	received						
									•	

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Place	Signature
	Name of Authorised
Signatory	

Designation /Status

Instructions:-

- 1. Terms Used:-
 - (a) GSTIN:- Goods and Services Tax Identification Number
 - (b) UIN :- Unique Identity Number
- 2. Refund applications has to be filed in the same State in which the Unique Identity Number has been allotted.
- 3. For refund purposes only those invoices may be entered on which refund is sought.";
 - (ix) for **FORM GST RFD-10**, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM GST RFD-10

[See rule 95(1)]

Application for Refund by any specialized agency of UN or any Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries, etc.

	00000000		
9.	UIN :		
10.	Name:		
11.	Address :		
12.	Tax Period (Quarter)	: From <dd mm="" yy=""></dd>	To
	<dd mm="" yy=""></dd>		
13.	ARN and date of GSTR11	: ARN < D	ate
	<dd mm="" yy=""></dd>		

: <INR><In Words>

State	Central Tax	State /UT Tax	Integrated Tax	Cess
Total				

15. Details of Bank Account:

Amount of Refund Claim

- a. Bank Account Number
- b. Bank Account Type
- c. Name of the Bank
- d. Name of the Account Holder/Operator
- e. Address of Bank Branch
- f. IFSC

8. Verification

14.

g. MICR

I	as	an	authorised	representative	of	<<	Name	of
Embassy/international	l org	aniza	tion >> here	by solemnly aff	irm an	id dec	lare that	the
information given her	rein a	above	is true and c	correct to the bea	st of n	ny kno	owledge	and

belief and nothing has been concealed therefrom.

That we are eligible to claim such refund as specified agency of UNO/Multilateral Financial Institution and Organization, Consulate or Embassy of foreign countries/ any other person/ class of persons specified/ notified by the Government.

Date: Signature of Authorised

Signatory:

Place: Name: Designation / Status

Instructions

- 1. Application for refund shall be filed on quarterly basis.
- 2. Table No. 6 will be auto-populated from details furnished in table 3 of GSTR-11.
- 3. There will be facility to edit the refund amount as per eligibility.
- 4. Requisite certificate issued by MEA granting the facility of refund shall be produced before the proper officer for processing refund claim. ";
- in **FORM GST DRC-07**, the Table at serial no. 5 shall be omitted. [(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-2 /2017(Part-I)-16)]

 By the order of Governor of Bihar,

 SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण) 12-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in